



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20052022-235907
CG-DL-E-20052022-235907

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 354]
No. 354]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 20, 2022/वैशाख 30, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 20, 2022/VAISAKHA 30, 1944

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2022

सा.का.नि. 371(अ).—महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के खंड 3 के उप-खंड 1(च) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को विशाखापट्टणम पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में महापत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है:-

क्र.सं.	नियुक्त किए गए सदस्य का नाम
1.	श्री एस. रमना बाबू, चालक प्रथम श्रेणी, एमएंडईई विभाग (विशाखापट्टणम बंदरगाह एवं पत्तन कर्मचारी यूनियन)
2.	श्री पी. रविशंकर श्रीनिवास, स्टेशन मास्टर, यातायात विभाग (विशाखापट्टणम पत्तन कर्मचारी यूनियन)

2. बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति, महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के अधीन होगी। यह नियुक्ति, महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के अंतर्गत नियमों को अंतिम रूप दिए जाने तक, अथवा चेक-ऑफ की वैधता तिथि तक, अथवा सदस्यों के द्वारा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, वैध है।

[फा. सं. एलबी-11013/1/2021-श्रम-भाग(1)]

विक्रम सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS**(PHRD Division)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th May, 2022

G.S.R. 371(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section 1(f) of Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021, the Central Government hereby appoints the following persons on the Board of Visakhapatnam Port Authority as Members representing the interests of the employees of the Major Port Authority:-

Sl. No.	Name of Member appointed
1.	Shri S. Ramana Babu- Driver 1 st Class, M&EE Department, (Visakhapatnam Harbour & Port Workers' Union)
2.	Shri P. Ravi Sankar Srinivas- Station Master, Traffic Department (Visakhapatnam Port Employees' Union)

2. The Appointment of Members of the Board shall be subject to the provisions of the Major Port Authorities Act, 2021. The appointment is valid till the finalization of Rules under Major Port Authority Act, 2021, or till the date of validity of check-off, or until the attainment of age of superannuation of the Members, whichever is earliest

[F. No. LB-11013/1/2021-Labour-Part(1)]
VIKRAM SINGH, Jt. Secy.